<u>समाचार</u>

<u>मास्क न पहनने पर लगा 4500 रूपये अर्थदण्ड</u>

कोरबा 16 मार्च 2021 –कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मास्क के अनिवार्य उपयोग हेतु अभियान चलाते हुए बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले व्यक्तियों पर 4500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, खुद कोरोना संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए निगम अमले द्वारा विगत दो दिनों में 4500 रूपये का अर्थदण्ड मास्क न पहनने वालों पर लगाया गया। कोरबा जोनांतर्गत 900 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 700 रूपये, बालको जोनांतर्गत 800 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 800 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 700 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।